न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या :– 10 / 2009

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भागीरथ पुत्र मिसरी बिश्नोई 2 वीरा पुत्र मिसरी बिश्नोई 3 सुरता पुत्र मिसरी बिश्नोई निवासीगण–अमरापुरी (बिछवाड़ी) तहसील व जिला–सांचौर		1 शंकरलाल पुत्र खूमा 2 गफी पत्नी शंकरलाल 3 कृष्णा पुत्र खूमा 4 बलवंता पुत्र खूमा जातियान–कोली, निवासीगण अमरापुरी, तहसील व जिला–सांचौर 4 तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 07.12.2009

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया व अर्जुन देवासी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह कीलवा एवं श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार सांचौर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 11.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, कि मौजा अमरापुरी के खसरा संख्या 388 की माठ तोड़कर सीमा चिन्ह हटा दिये है। अनेक बार गांव के मुखिया लोगों से पुलिस थाना सरवाना से अप्रार्थीगण को इस प्रकार अतिचार नहीं करने की हिदायत दिलाई गई। अप्रार्थीग्ण ने लोगों के समक्ष यह स्वीकार भी किया कि उन्होंने माठ तोड़ी है परन्तु इन्धन के लिए तोड़ी है किसी के खेत पर कब्जा करने की नियत से नहीं तोड़ी है। प्रार्थीगण ने भी उनकी बात मानते हुए पंचों से निवेदन किया कि पंचगण जहां सेढ़ा कायम करेंगे वहां सीमांकन कर प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारों तरफ पत्थरगढ़ी कर तारबंदी करवा देंगे, जिससे भविष्य में सेढ़े को लेकर कोई विवाद नहीं हो। पंचगण ने अप्रार्थी शंकरलाल के रसोई घर की पूर्वी दीवार को छुते हुए उसी सीध में खड़ी बोरड़ी से लगते हुए सीधा सेढ़ा कायम किया तथा प्रार्थीगण ने उक्त सेढ़े पर कांटे, थोर के कांटे आदि से सेढ़ा बनाया परन्तु दिनांक 29.06.2009 को उपरोक्त सेढ़े पर निर्मित सेढ़े पर प्रार्थीगण की लगाई हुई थोर व कांटों की बाड़ उखाड़ कर प्रार्थी [illegible] फेंक दी और मरने मारने पर उतारू हो गये। फिर पंचों ने दोनों पक्षों से कहा कि वे [illegible] ज्यादती नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि प्रार्थीगण अपनी भूमि का विधिवत् सीमांकन करवाकर सेढ़े पर पत्थरगढ़ी करवा कर तारबंदी कर सके ताकि भविष्य में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं रहें। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार सांचौर को दोनों पक्षों के खेत के बीच सीमा के चिन्ह अंकित करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र कार्यालय टिप्पणी के पश्चात दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रकरण में पत्रावली माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 04.03.2016 में उक्त प्रकरण में विवादित खेतों का सीमाज्ञान दोनों पक्षों की उपस्थिति में करवाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्राप्त हुई। जिस पर दोनों पक्षों को उक्त प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 01.04.2021 को जवाब बंद किया गया। प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 388 की माठ तोड़कर उसके खेत में अतिचार कर रहे है कई बार पंचायती भी करवाई किन्तु अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत की पैमाईश कर मौका रिपोर्ट तलब कर खेत के बिच चिन्ह अंकित करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण तमाम अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण उनके खेत की माठ तोड़कर जबरन कब्जा करने की चेष्टा करते रहते है अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से झूठा पेश किया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा पेश खसरा संख्या 388 की जमाबंदी नक्शा ट्रैस का अवलोकन व अध्ययन किया गया, प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत पास पास आये हुए है तथा दोनों पक्षकारान के मध्य सीमा का विवाद प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा अमरापुरी के खेत खसरा संख्या 388 रकबा 8.27 हैक्टेयर की दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश कर खसरा संख्या 388 का प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक ..... को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner